

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1339 /2019

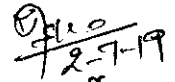
दिनांक : 02.07.2019

सुश्री अन्नु यादव (RJ1145), विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट) प्रकरण, सं-05 जयपुर महानगर को दिनांक 28.05.2019 से 30.05.2019 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

सुश्री यादव की अनुपस्थिति में विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट) प्रकरण, सं-06 जयपुर महानगर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट) प्रकरण, सं-05 जयपुर महानगर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से



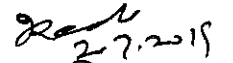
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/10/2017/ 6006

दिनांक : 02.07.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर को उनके पत्रांक 5893 दिनांक 03.06.2019 के सन्दर्भ में ।
3. सुश्री अन्नु यादव (RJ1145), विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट) प्रकरण, सं-05 जयपुर महानगर
4. विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट) प्रकरण, सं-05 जयपुर महानगर
5. विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट) प्रकरण, सं-06 जयपुर महानगर



सहायक रजिस्ट्रार